राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या –1292/2010/अजमेर

1.वसीम राजा पुत्र श्री शमसुद्दीन खान
2.शमसुद्दीन पुत्र श्री हसन खान जाति मुसलमान
निवासीगण–बडी मस्जिद के पास खानपुरा
तहसील व जिला–अजमेर अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए आयुक्त,आबकारी,उदयपुर प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य
श्री मनोहर पुरी,सदस्य

उपस्थितः
श्री अब्दुल माजिद
अभिभाषक अपीलार्थीगण की ओर से
श्री आर.के. अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 28.09.2016

निर्णय

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 9क(ख) के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त, आबकारी, राजस्थान, उदयपुर द्वारा क्रमांक प.29(बी) पीएस/वाहन/2010/239 दिनांक 09.07.2010 को पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 06.01.2010 को थानाधिकारी, क्लॉक टॉवर थाना, अजमेर द्वारा मदिरा के अवैध परिवहन करते हुए वाहन मारूति 800 पंजीयन संख्या आर.जे.01–सीए–3851 में 11 पेटियॉ में 12–12 बोतलें भारत निर्मित विदेशी मदिरा की भरी हुई थी, जिसे जप्त किया जाकर अभियोग संख्या 14/2010 पंजीकृत किया गया है। जप्त वाहन को मुक्त कराने हेतु निवेदन किये जाने पर अतिरिक्त आयुक्त,आबकारी, जोन–अजमेर ने आबकारी अधिनियम की धारा 69(4) के अन्तर्गत उक्त वाहन के अधिहरण के बदले विकल्प स्वरूप जुर्माना राशि रू. 85,000/–आरोपित करने के आदेश दिनांक 26.02.2010 पारित किया, साथ ही आदेश पारित किया कि 15 दिन की अवधि में वाहन स्वामी द्वारा निर्धारित जुर्माना राशि रू. 85,000/–जमा कराकर वाहन को मुक्त नहीं कराया जाता है तो वाहन को

अधिहरित मानते हुए जिला आबकारी नियमानुसार वाहन की नीलामी की कार्यवाही करें। अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी, जोन–अजमेर के आदेश से क्षुब्ध होकर आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने अतिरिक्त आयुक्त,आबकारी जोन–अजमेर के अपीलाधीन आदेश को यथावत रखते हुए अपील अस्वीकार कर दी।

अपीलार्थीगण के अभिभाषक ने कथन किया कि अतिरिक्त आयुक्त,आकारी जोन–अजमेर का आदेश दिनांक 26.02.2010 एवं आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर का आदेश दिनांक 09.07.2010 पूर्णतः विधि विरूद्ध,दोषयुक्त एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि अपीलार्थी द्वारा सुपुर्दगीनामा जो अपीलार्थी के जब्तशुदा वाहन मारूति 800 संख्या आर जे 01–सी.ए.3851 को लेने बाबत प्रस्तुत किया था, जिसको बिना किसी आधार के अतिरिक्त आयुक्त आबकारी,जोन–अजमेर द्वारा यह मानते हुए कि प्रार्थी को कानून की जानकारी नहीं है और प्रथम दृष्टया वाहन का उपयोग अवैध मदिरा के परिवहन हेतु किया जाना प्रतीत होता है,मानकर निर्णय पारित करना कानूनी भूल है।

उनका कथन है कि अतिरिक्त आयुक्त आबकारी,जोन–अजमेर का आदेश दिनांक 26.02.2010 में यह अंकित करना कि प्रार्थी ने स्वयं जुर्माना भरने हेतु निवेदन किया है, जिससे यह प्रमाणित है एवं अपरोक्ष रूप से स्वयं को स्वीकार है कि वाहन का उपयोग अवैध मदिरा के परिवहन के लिए किया गया है, सरासर बेबुनियाद, मिथ्या, कपोलकल्पित एवं मनगढंत होने से अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम,1872 में संस्वीकृति एवं स्वीकारोक्ति को स्पष्ट किया गया है और स्वीकारोक्ति के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती है। उनका यह भी कथन है कि उसके द्वारा दिनांक 11.02.2010 को जब्त शुदा वाहन को नियमानुसार सुपुदर्गगीनामे पर रिलीज किये जाने की प्रार्थना की गई है और उसमें कहीं भी स्वंय जुर्माना भरने का निवेदन नहीं किया गया है। उनका कथन है कि आबकारी आयुक्त,राजस्थान उदयपुर ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि कि पुलिस

थाना क्लॉक टॉवर द्वारा दर्ज एफ.आई.आर संख्या 14/10 में जिस वाहन मारूति संख्या आर जे–01सी.ए.3851 को पकडा उसमें बैठे व्यक्तियों के नाम पते पूछे तो चालक ने अपना नाम शमसुद्दीन पुत्र हसन खान एवं साईठ में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम वसीम राजा बताया और पकडे गये व्यक्ति चालक एवं स्वामी होने के साथ ही साथ पिता पुत्र भी है और जो वाहन अवैध मदिरा के परिवहन सीज किया गया वह स्वयं साईड में बैठे व्यक्ति वसीम राजा अपीलार्थी संख्या 1 का था,जिस बाबत पुलिस द्वारा किसी प्रकार की पूछताछ नहीं की गई, जो कानून आवश्यक है। उनका यह भी कथन है कि निर्णय पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है,जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार कर आबकारी आयुक्त,राजस्थान उदयपुर के आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने आबकारी आयुक्त, राजस्थान,उदयपुर एवं अतिरिक्त आयुक्त आबकारी,जोन–अजमेर के आदेशों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि दिनांक 06.01.2010 को थानाधिकारी, क्लॉक टॉवर थाना, अजमेर द्वारा मदिरा के अवैध परिवहन करते हुए वाहन मारूति 800 पंजीयन संख्या आर.जे. 01–सीए–3851 में 11 पेटियॉ में 12–12 बोतलें भारत निर्मित विदेशी मदिरा की भरी हुई जप्त की जाकर अभियोग संख्या (एफ.आई.आर) 14/2010 पंजीकृत किया गया । उक्त जब्त वाहन को छुडाने हेतु अपीलार्थी द्वारा निवेदन किये जाने पर वाहन के अधिहरण से मुक्ति का विकल्प स्वरूप जुर्माना राशि रू. 85,000/–आरोपित की गई है।

प्रकरण के समस्त तथ्यों के विचार करने के पश्चात यह जाहिर होता है कि वाहन संख्या आर.जे.01–सीए–3851 में भारत निर्मित विदेशी मदिरा के भरे बरामद होने से उक्त वाहन का उपयोग मदिरा के अवैध परिवहन के लिए हुआ है। इस तथ्य की पुष्टि पुलिस थाना क्लॉक टावर, अजमेर में दर्ज प्रथम

सूचना रिपोर्ट एवं रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 69(4) से प्रथम दृष्टया प्रकट होता है। वाहन स्वामी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रकट होता है कि वाहन का उपयोग अवैध मदिरा के परिवहन के लिए नहीं हुआ हो।

प्रकरण के समस्त तथ्यों पर विचार करने के पश्चात यह पीठ को आबकारी आयुक्त,राजस्थान, उदयपुर द्वारा पारित आदेश में कोई अविधिकता दृष्टिगोचर नहीं हेाती है। फलस्वरूप आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.07.2010 की पुष्टि करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

28/09/2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य